

11/12/17

यह पत्रावली अभिभाषक श्री अजीतसिंह राठौड़ के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तलब की गयी। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान लादू तथा रतनलाल व जगदीश तीनों ही श्री रामचन्द्र के पुत्र होकर सगे भाई हैं जिनके विवादित भूमि को लेकर आपसी राजीनामा हो गया है जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। राजीनामा/समझौता पत्र के अनुसार उक्त अपील स्वीकार फरमायी जाकर, राजीनामा में अकन के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी एवम् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांटस ने उक्त उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के आदेश दिनांक 12.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये हैं। उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के आदेश 12.12.2015 की पालना होने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलांट जगदीश ने उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी थी जिससे आदेश की पालना नहीं हो सकी। राजीनामा प्रस्तुत होने से हम अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर, मूल राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाते हुए, राजीनामा के क्रम में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मूल समझौता पत्र के आधार पर आंशिक स्वीकार की जाती हैं एवम् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के आदेश दिनांक 12.12.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा मूल राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त राजीनामा के क्रम में पक्षकारान की सुनवाई करते हुए सभी हितबद्ध पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी बाबत आदेश जारी करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

लादू लाल



श. वि. जगदीश

रतन 2/12/17

Identity By me.

@Singh

मेहता सिंह चौहान

- रतन